(25)

न्यायालय श्री जगजीत सिंह मोंगा, R.A.S, अतिरिक्त कलक्टर, (द्वितीय) जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 163/2005 (जीसीएमएस संख्या : 2005/00002)
सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. सूज्या पुत्र श्री काना, जाति–चमार, निवासी–ग्राम नैनवा मय बाढ, तहसील– चाकसू, जिला–जयपुर। (मृतक)
   1/1 शंकरलाल पुत्र स्व0 श्री सूज्या बैरवा, निवासी–बजरीमंडी, हल्दीघाटी मार्ग, ब्लॉक फेक्ट्री, प्रताप नगर, जयपुर।
   1/2 सीताराम पुत्र स्व0 श्री सूज्या बैरवा, निवासी–रामसिंह कालोनी, बजरीमंडी, सांगानेर, जयपुर।
   1/3 चिरंजीलाल पुत्र स्व0 श्री सूज्या बैरवा, निवासी–हीरापथ मोड, मानसरोवर, जयपुर।
   1/4 हेमराज पुत्र स्व0 श्री सूज्या बैरवा, निवासी–नैनवा की ढाणी, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
   1/5 लछमा देवी पुत्री स्व0 श्री सूज्या बैरवा पत्नी श्री रतनलाल बैरवा, निवासी–महादेवपुरा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर हाल निवासी–बाईस गोदाम कच्ची बस्ती नाले के पास कठपुतली कालोनी, जयपुर।
2. छीतर पुत्र श्री रामनाथ, जाति–जाट, निवासी–ग्राम नैनवा मय बाढ, तहसील– चाकसू, जिला–जयपुर। (मृतक)
   2/1 केसरा पुत्र छीतर, जाति–जाट, निवासी–ग्राम नैनवा मय बाढ, तहसील– चाकसू, जिला–जयपुर। (मृतक)
      2/1/1 रामकिशोर पुत्र स्व0 श्री केसरा, जाति–जाट, निवासी–ग्राम नैनवा मय बाढ, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
      2/1/2 हजारी पुत्र स्व0 श्री केसरा, जाति–जाट, निवासी–ग्राम नैनवा मय बाढ, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
      2/1/3 गुलाब पुत्री स्व0 श्री केसरा पत्नी श्री बद्रीनारायण, जाति–जाट, निवासी–ग्राम नैनवा मय बाढ, तहसील–चाकसू हाल निवासी–बडली, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर
      2/1/4 भूली देवी पुत्री स्व0 श्री केसरा पत्नी श्री बद्रीनारायण, जाति–जाट, निवासी–ग्राम नैनवा मय बाढ, तहसील–चाकसू हाल निवासी–बडली, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर
      2/1/5 ग्यारसी पुत्री स्व0 श्री केसरा पत्नी श्री श्योजीलाल, जाति–जाट, निवासी–ग्राम नैनवा मय बाढ, तहसील–चाकसू हाल निवासी–फाडियो का मोहल्ला, ग्राम–झिलाय, तहसील–टोंक, जिला–टोंक।
      2/1/6 लाडा देवी पुत्री स्व0 श्री केसरा पत्नी श्री रामेश्वर प्रसाद, जाति–जाट, निवासी–ग्राम नैनवा मय बाढ, तहसील–चाकसू हाल निवासी–ग्राम नथमलपुरा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
3. गोपाल पुत्र श्री रामनाथ, जाति–जाट, निवासी–ग्राम नैनवा मय बाढ, तहसील– चाकसू, जिला–जयपुर। (मृतक)

(न्यायालय ... (द्वितीय) जयपुर)

3/1 रामनिवास पुत्र स्व0 श्री गोपाल, जाति–जाट, निवासी–ग्राम नैनवा मय बाढ, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर। (मृतक)

3/1/1 लाडा देवी पत्नी स्व0 श्री रामनिवास, जाति–जाट, निवासी–ग्राम नैनवा मय बाढ, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

3/1/2 रामरख पुत्र स्व0 श्री रामनिवास, जाति–जाट, निवासी–ग्राम नैनवा मय बाढ, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

3/1/3 शिवजीराम पुत्र स्व0 श्री रामनिवास, जाति–जाट, निवासी–ग्राम नैनवा मय बाढ, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

3/1/4 रामस्वरूप पुत्र स्व0 श्री रामनिवास, जाति–जाट, निवासी–ग्राम नैनवा मय बाढ, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

3/1/5 रतनी देवी पुत्री स्व0 श्री रामनिवास पत्नी श्री रामधन, जाति–जाट, निवासी–ग्राम नैनवा मय बाढ, तहसील–चाकसू हाल निवासी–ग्राम बडली, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

3/2 हरिनारायण पुत्र स्व0 श्री गोपाल, जाति–जाट, निवासी–ग्राम नैनवा मय बाढ, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

3/3 रामजीवन पुत्र स्व0 श्री गोपाल, जाति–जाट, निवासी–ग्राम नैनवा मय बाढ, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

3/4 जगदीश पुत्र स्व0 श्री गोपाल, जाति–जाट, निवासी–ग्राम नैनवा मय बाढ, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

3/5 रामलाल पुत्र स्व0 श्री गोपाल, जाति–जाट, निवासी–ग्राम नैनवा मय बाढ, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

अप्रार्थीगण,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955)

उपस्थितिः–

1. पेरोकार सरकार।
2. अप्रार्थीगण बावजूद सूचना असालतन/वकालतन अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय दिनांक :17.03.2021

तहसीलदार, चाकसू द्वारा यह निवेदन किया गया हैं कि ग्राम–नैनवा की साबिक आराजी खसरा नं0 358 रकबा 06 बिस्वा, आराजी खसरा नं0 362 रकबा 07 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 13 बिस्वा आराजी खतौनी बन्दोबस्त संवत 2004–2023 के अनुसार सूज्या वल्द श्री काना, जाति–चमार साकिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड थी जिसे खातेदार सूज्या द्वारा छीतर गोपाल पुत्र श्री रामनाथ, जाति–जाट को बेचान कर दिये जाने के कारण नामान्तरकरण संख्या–12 द्वारा अनुसूचित जाति के खातेदार की आराजी का सवर्ण जाति के सदस्य के नाम दर्ज की गई है जो नियमों के विपरीत होने से अवैधानिक है। जिसे निरस्त किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल को रेफरेन्स किया जावे।

उक्त आशय का रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार अप्रार्थीगण/कायमी–मुकामान को नोटिस जारी किये गये।

अप्रार्थी रामनिवास, हरिनारायण, रामजीवण, जगदीश व रामलाल पुत्र स्व0 श्री गोपाल, जाति–जाट ने जरिये अभिभाषक जवाब प्रस्तुत किया है कि यह सही है कि संवत 2004–2023 की खतौनी बन्दोबस्त में भूमि खसरा नम्बर 358 व 362 सूज्या पुत्र काना चमार के नाम दर्ज थी। भूमि विवादग्रस्त खसरा नम्बर 358 व 362 सूज्या द्वारा चैत्र बुदी 6 संवत 2008 को विक्रय की गई और उस समय न तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रभावी था और न ही धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का कोई समानान्तर प्रावधान ही था इसलिये बेचान धारा 42 के प्रावधानों के विपरीत होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण संख्या 12 विधिवत दिनांक 13.12.1957 को तस्दीक किया गया है और नामान्तरकरण व विक्रय प्रभाव शून्य नहीं है। जब विक्रय धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत ही नहीं है और विक्रय के समय अनुसूचित जाति के सदस्यों द्वारा स्वर्ण व्यक्ति के पक्ष में विक्रय किये जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था। जवाब में यह भी लिखा है कि भूमि विवादग्रस्त खसरा नम्बर 358 व 362 का विक्रय बहक अप्रार्थी संख्या 2 व 3 मिति चैत्र बुदी 6 संवत 2008 को किया जाकर कब्जा बहैसियत क्रेता सम्भला दिया गया। उक्त हस्तान्तरण के समय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रभाव में ही नहीं आया था और धारा 42 का अस्तित्व ही नहीं था इसलिये उक्त भूमि विवाग्रस्त का हस्तान्तरण किसी भी प्रकार से अवैध अथवा प्रभाव शून्य नहीं था। वादग्रस्त आराजी पर मिति चैत्र बुदी 6 संवत 2008 से निरन्तर मिन अप्रार्थीगण बहैसियत क्रेता भूमि विवादग्रस्त पर निरन्तर काबिज है तथा काश्त करते चले आ रहे है इसलिये उक्त हस्तान्तरण को अवैध जाहिर करते हुये नामान्तरकरण के विरूद्ध रेफरेन्स किये जाने का अब कोई आधार नहीं है। विक्रेता सूज्या पुत्र काना का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के समय से ही भूमि विवादग्रस्त पर कोई अधिकार व कब्जा ही नहीं है इसलिये मौजूदा रेफरेन्स आधारहीन व मियाद बाहर होने के कारण निरस्तनीय है। नामान्तरकरण भू–अभिलेखों का आधार है और सहायक भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा सम्पन्न की गई कार्यवाही है। माननीय न्यायालय अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा की गई कार्यवाही व पारित किये गये आदेश के विरूद्ध ही रेफरेन्स कर सकते है। नामान्तरकरण के विरूद्ध रेफरेन्स करने का माननीय न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। दिनांक 13.12.1957 को प्रश्नाधीन नामान्तरकरण तस्दीक होने के पश्चात् एकीकरण की कार्यवाही हुई और भूमि विवादग्रस्त खसरा नम्बर 358 व 362 अन्य भूमियों के साथ चक नम्बर 68 कुल रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा में शामिल कर एकीकरण की खतौनी में मिन अप्रार्थीगण को खातेदार अंकित किया जा चुका है। एकीकरण के आदेश के विपरीत न तो कोई रेफरेन्स किया जा सकता है और न ही माननीय न्यायालय को ऐसे किसी

रेफरेन्स के कोई अधिकार है इसलिये भी मोजूदा रेफरेन्स निरस्तनीय है। भूमि विवादग्रस्त पर अप्रार्थी संख्या 1 के पूर्व में जो अधिकार थे वे भूमि विवादग्रस्त पर क्रेतागण, मिन अप्रार्थीगण का कब्जा होने से समाप्त हो गये। राज्य सरकार हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 175 के तहत जो समयावधि जो पूर्व में 3 वर्ष, उसके पश्चात् 12 वर्ष तथा उसके पश्चात 30 वर्ष निर्धारित की गई वह भी समाप्त हो चुकी है। इसलिये अन्यथा भी अब रेफरेन्स की कार्यवाही सारहीन होने के कारण निरस्तनीय है। भूमि विवादग्रस्त के संबंध में मिन अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस्तकरार हक व दखलयाबी का दावा प्रस्तुत किया गया जो सहायक जिलाधीश, जयपुर द्वारा दिनांक 01.07.1970 को निरस्त किया जा चुका है इसलिये रेफरेन्स के माध्यम से वही कार्यवाही नहीं की जा सकती। वादग्रस्त आराजी के संबंध में मिन अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने के उद्देश्य मात्र से यह प्रा0–पत्र प्रस्तुत किया गया है जो विशेष हर्जे व खर्चे सहित निरस्त किये जाने योग्य है।

विद्वान् पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। विद्वान् पेरोकार सरकार ने रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम–नैनवा की साबिक आराजी खसरा नं0 353 रकबा 06 बिस्वा, आराजी खसरा नं0 362 रकबा 07 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 13 बिस्वा आराजी खतौनी बन्दोबस्त संवत 2004–2023 के अनुसार सूज्या वल्द श्री काना, जाति–चमार साकिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड थी जिसे खातेदार सूज्या द्वारा छीतर गोपाल पुत्र श्री रामनाथ, जाति–जाट को बेचान कर दिये जाने के कारण नामान्तरकरण संख्या–12 द्वारा अनुसूचित जाति के खातेदार की आराजी का सवर्ण जाति के सदस्य के नाम दर्ज की गई है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 के विरूद्ध है अतः नियमों के विपरीत होने से अवैधानिक है। जिसे निरस्त किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल को रेफरेन्स किया जावे।

हमने विद्वान् पेरोकार सरकार की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। वरवक्त बहस पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया है कि वादग्रस्त आराजी अनुसूचित जाति के सदस्य की कब्जेशुदा खातेदारी की भूमि है जिसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 के अनुसार गैर–अनुसूचित जाति के सदस्यों को विक्रय नहीं किया जा सकता है। नकल नामान्तरकरण संख्या–12 के कॉलम संख्या 14 व 16 के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी को अनुसूचित जाति के खातेदार द्वारा गैर–अनुसूचित जाति यथा जाट जाति के सदस्यों को जरिये विक्रय पत्र विक्रय किया गया है ऐसा विक्रय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 द्वारा वर्जित है और वादग्रस्त आराजी का विक्रय धारा 42 के उल्लंघन में हुआ है ऐसी स्थिति में किया गया विक्रय प्रारंभ से शून्य होने से अवैध है और लोक–नीति के विरूद्ध है। नामान्तरकरण संख्या–12 के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि विक्रय पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा रजिस्टर्ड नहीं है अर्थात् विक्रय

विलेख रजिस्टर्ड नहीं है। पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो यह सिद्ध करते हों कि खातेदार सूज्या द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में कोई इस्तकरार हक व दखलयाबी का दावा प्रस्तुत किया गया हो और उसे सहायक जिलाधीश, जयपुर द्वारा निरस्त किया गया हो। अलबत्ता यह विधिक प्रावधान निश्चित रूप से प्रभावी है कि किसी अनुसूचित जाति के सदस्य की आराजी को जरिये बेचान अथवा अन्य किसी प्रकार से गैर–अनुसूचित जाति के सदस्य के नाम स्थानान्तरित नहीं की जा सकती है। आर.आर.डी. 307 जोरासिंह बनाम बसंतसिंह में स्पष्ट अभिमत दिया गया है कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा दिनांक 01.05.1964 के पूर्व से किन्तु दिनांक 22.09.1956 के बाद में उससे भिन्न जाति के सदस्यों को किया गया हस्तान्तरण के आधार पर उसके पश्चात् किया गया हस्तान्तरण भी शून्य होने के कारण किसी प्रकार का हक प्रदान नहीं करते है। नामान्तरकरण संख्या–12 लोक–नीति के विरूद्ध स्वीकार किया गया है। इस प्रकार उक्त विवेचनानुसार वादग्रस्त आराजी के विक्रेता अनुसूचित जाति के खातेदार काश्तकार की खातेदारी में वादग्रस्त आराजी को पुनः लगाया जाना न्यायसंगत पाते है। अतः वादग्रस्त आराजी के बेनामा द्वारा किये गये बेचान के आधार पर स्वीकार किये गये नामान्तरकरण संख्या 12 को एवं इसके पश्चात् के समस्त इन्द्राजात को निरस्त करने एवं वापिस अनुसूचित जाति के खातेदार/काश्तकार की खातेदारी में पुनः लगाये जाने की राय से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित हैं। पक्षकार को दिनांक 11.05.2021 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

(जगजीत सिंह मोंगा)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर